न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 120 / 2017(2017 / 00446)

अनवान : –

1. असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
2. बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
3. शबनम जरिये माता बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
4. तोहिबा जरिये माता बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
5. मुस्कान जरिये माता बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
6. बलकेश जरिये माता बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।
7. रकिया जरिये माता बाली बानो पत्नी जाकिर हुसैन जाति व्यापारी निवासी अजीतपुरा भादरा तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 05/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं 28 / 32 के खसरा न0 461 की 6.3610 [illegible] खसरा नं0 482 की 2.1750 हैक्टेयर, खसरा नं0 742 / 2 की 2.39[illegible]1096 की 1.9100 हैक्टेयर, खसरा नं0 1178 की 6.7530 हैक्टेयर, [illegible] कृषि भूमि प्रार्थी सं[illegible]का 180 वा हिस्सा व प्रार्थी संख्या 1 के भाई जाकिर हुसैन [illegible] 120 वा हिस्सा राजस[illegible] में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:39 IST
Reason: Self Attested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ की बजाऐ आसफ अली पुत्र मो0 सदीक दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता मोहम्मद सरीफ के आसफ अली नाम का कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थनापत्र है जिससे साफरोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ की बजाऐ आसफ अली पुत्र मोहम्म्द सदीक दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम आसफ अली पुत्र मोहम्म्द सदीक के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम असक अली पुत्र मोहम्म्द सरीफ के स्थान पर आसफ अली पुत्र मोहम्मद सदीक दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी सरकारी योजनाओं का ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम आसफ अली पुत्र मोहम्मद सदीक दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जार ही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं 28/32 में प्रार्थी का नाम अकस अली पुत्र मोहम्मद सरीफ दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब पेश किया एवं पटवारी पटवार हल्का अजीतपुरा की रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियागया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं 28/32 में आसफ अली पुत्र मो0 सदीक के स्थान पर असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ व जाकीर हुसैन पुत्र मो0 सदीक के स्थान पर मोहम्मद सरीफ राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में अंकित किया है कि "**प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ के स्थान पर आसफ अली पुत्र मो0 सदीक व जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्मद सरीफ के स्थान पर जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्मद सदीक दर्ज हो गया।**" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र एवं रामनिवास पुत्र जगराम ज़ाति जाट निवासी अजीतपुरा ने शपथ पत्र पेश कर प्रमाणित प्रति आधारकार्ड, जिनमें प्रार्थी का नाम सही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्तहोने के अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं 28/32 में " **आसफ अली पुत्र मो0 सदीक के स्थान पर असक अली पुत्र मोहम्मद सरीफ व जाकीर हुसैन पुत्र**

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मोहम्मद सदीक के स्थान पर जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्मद सरीफ" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच आसफ अली पुत्र मो0 सदीक व जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्म्द सदीक के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से आसफ अली पुत्र मो0 सदीक व जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्म्द सदीक के नाम से देय बकाया होतो उसके लिए आसफ अली पुत्र मो0 सदीक व जाकीर हुसैन पुत्र मोहम्म्द सदीक ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेवार होगे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S. भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:39 IST
Reason: SelfAttested